



राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.4(23)वित्त/राजस्व/1994लूज

जयपुर दिनांक

26 NOV 2020

—:आज्ञा:—

वर्ष 2020-21 में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के निम्नांकित अधिकारियों के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम एवं पद                          | जन्म तिथि  | सेवानिवृत्ति दिनांक |
|----------|--|------------|---------------------|
| 1.       | श्री चिन्तामणी चापोरकर, सहायक निदेशक           | 10.11.1960 | 30.11.2020          |
| 2.       | श्री बसंत लाल पुत्र श्री मानसिंह, सहायक निदेशक | 06.12.1960 | 31.12.2020          |
| 3.       | श्री सुण्डाराम मीणा, सहायक निदेशक              | 08.12.1960 | 31.12.2020          |

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

कृपया सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,  
(वेद प्रकाश गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव  
26/11/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ.1(ए)123/पार्ट-5/संस्था/बीमा/2020/लूज/9931 दिनांक 18.11.2020
4. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
5. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव  
26/11/2020